



भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान  
रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ—226 101 (भारत)  
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture  
Rehmankhhera, P.O. Kakori, Lucknow-226 101 (India)  
Phone 0522-2841022,2841023,2841024; Fax 0522-2841025  
Website:www.cish.res.in; email id: cish.lucknow@gmail.com



फा.सं. 1-15/2016-17/M

दिनांक 27.11.2017

### नीलामी –सूचना

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा प्रक्षेत्र पर लगभग 50–55 कुन्तल जलौनी लकड़ी की खुली नीलामी दिनांक 05.12.2017 को अपराह्न 2.00 बजे संस्थान के द्वितीय प्रखंड पर की जायेगी। जो भी व्यक्ति जलौनी लकड़ी की बोली लगाने के इच्छुक हो वे दिनांक 04.12.2017 तक इसका निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय काल 4.00 बजे तक फार्म प्रभारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर सकते हैं।

### नीलामी की शर्तें निम्न है :-

1. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को ₹ 1,000.00 मात्र धरोहर राशि के रूप में नगद जमा करनी होगी, जो कि नीलामी के उपरान्त सभी असफल बोली लगाने वालों को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
2. सर्वोच्च बोली बोलने वाले व्यक्ति का प्रस्ताव उचित होने पर ही उस पर विचार किया जा सकेगा।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकार होगी उसे स्वीकृत बोली की पूर्ण धनराशि उसी समय उपस्थित अधिकारियों के पास जमा करानी होगी। नीलाम की गयी लकड़ी उठाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब पूर्ण धनराशि संस्थान के खाते में जमा कर दी जायेगी।
4. नीलाम हुई लकड़ी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसके नाम बोली छूटेगी।
5. उक्त जलौनी लकड़ी उठाते अथवा ले जाते समय संस्थान की किसी भी सम्पत्ति की यदि क्षति होती है तो उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जायेगी जिसके नाम बोली स्वीकृत होगी।
6. जलौनी लकड़ी बाहर ले जाने के लिए गेट पास फार्म प्रभारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ही ले जाया जा सकता है।
7. बिना कोई कारण बताए नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने की अवस्था में प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

*सहायक प्रशासनिक अधिकारी*

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

### प्रतिलिपि:-

1. वित्त एवं लेखा अधिकारी
2. प्रभारी, रहमानखेड़ा
3. वैयक्तिक सहायक (निदेशक)
4. सूचना पट्ट मुख्यालय/आर बी. रोड कैम्पस/खण्ड प्रथम/द्वितीय
5. आस-पास के सभी गांव को वितरण हेतु।
6. तहसील, मलिहाबाद
7. प्रभारी, रायबरेली रोड परिसर को छावनी परिषद कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।
8. संस्थान की वेबसाइट